179

लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट/ए/20/2018–19/129 भोपाल,दिनांकः–29/06/2018

प्रति,

1– समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.।
2– समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3– विधि प्रकोष्ठ, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर म.प्र.।
4– योग विभागाध्यक्ष, भोपाल म.प्र.।
5– जीवाजी वैधशाला उज्जैन म.प्र.।
6– शासकीय शारीरिक शिक्षा महाविधालय शिवपुरी म.प्र.।

विषयः– वित्त वर्ष 2018–19 के व्यय मिलान एवं समाधान कार्य महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. के आंकडो/लेखे से मिलान करने बाबत्।

——00——

उपरोक्त विषय में लेख है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के व्यय के आकड़ों की समीक्षा हेतु लोक शिक्षण संचालनालय से दल महालेखाकार ग्वालियर कार्यालय भेजा गया था। अंक मिलान कार्य की समीक्षा में पाया गया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारीयों द्वारा अंक मिलान कार्य में अत्यन्त उदासीनता प्रदर्शित की गई है। इस कार्यालय द्वारा बार–बार निर्देशित किया जाने के उपरांत भी कतिपय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अंक मिलान का कार्य वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रारंभ से वर्ष समाप्ति तक भी पूर्ण नहीं किया गया है। यह स्थिति शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता का घोतक है।

2. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर से निम्नानुसार त्रैमासिक अवधि के व्यय का मिलान अनिवार्य रूप से किया जाये तथा अंक मिलान पश्चात् व्यय समाधान प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध करावे। सभी आहरण संवितरण अधिकारीयों को विभागीय प्राप्ति एवं व्यय के शत् प्रतिशत पुर्नमिलान का लक्ष्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। **वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अंक मिलान समय सारणी निम्नानुसार है:–**

क्रमांक	त्रैमासिक अवधि	समाधान हेतु निश्चित अवधि
1	अप्रैल, मई, जून	15 अगस्त तक
2	जुलाई, अगस्त, सितम्बर	30 अक्टूबर तक
3	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर	15 जनवरी तक
4	जनवरी, फरवरी, मार्च	15 मई तक

3. जिस कार्यालय द्वारा उक्त समय सारणी अनुसार अंक मिलान की कार्यावाही पूर्ण नहीं की जायेगी उनके विरूद्व मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुसार शासकीय कार्य में उदासीनता मानते हुए अनुशासनात्क कार्यवाही की जावेगी, एवं गोपनीय प्रतिवेदन में भी तद्संबधी

टीप अंकित की जावेगी।

अतः त्रैमासिक अवधि में आंकड़ों का पुर्नमिलान व्यय निर्धारित तिथि अनुसार कर प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक/बजट/ए/20/2018–19/130
भोपाल दिनांकः–29/06/2018

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं व्ही.एल.सी.) मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. उप संचालक (लेखा) लोक शिक्षण संचालनालय।
4. श्री राजीव शर्मा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, संयुक्त संचालक कार्यालय, लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि अंक मिलान का कार्य समय सारणी के अनुसार कराकर समीक्षा करे एवं त्रैमासिक अवधि समाप्ति पर प्रतिवेदन संचालनालय को उपलब्ध कराये जाना सुनिश्चित करे।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.